न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 28/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2018/00125

उनवान

1. तैताल सिंह पुत्र लाखन सिंह उम्र 58 वर्ष
2. रामप्रकाश पुत्र गुलाब सिंह उम्र 63 वर्ष
3. रामदत्त पुत्र कोक सिंह उम्र 43 वर्ष

} जाति ठाकुर नि0 ग्राम पिदावली तह0 बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2018 प्रकरण संख्या 113/15 उनवान तैताल सिंह बनाम सरकार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी।

अभिभाषकगण :—

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :—30.03.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दूल्हे खॉ तहसील बाडी में स्थित है उक्त आराजी सिवायचक थी। जिस पर वादीगण के पूर्वजो का काफी पुराना अतिक्रमण था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नियमन दिनांक 01.10.1968 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादीगण के पूर्वज लाखन व श्रीराम के पक्ष में किया गया था। वादीगण व उनके पूर्वज आधिपत्य वाले नियमनशुदा रकवे पर जीवन पर्यन्त काबिज रहे। वह बिना पढे लिखे ग्रामीण परिवेश के किसान थे। जिन्हे राजस्व रिकार्ड का कोई ज्ञान नहीं था वह इस भरोसे रहे कि विवादित आराजी का उनके लिये नियमन हुआ है अतः उन्हें किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में सिवायचक के ही इन्द्राजात चलते रहे। यद्यपि राजस्व कर्मचारियों का यह कर्तव्य था कि वह राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वजो के पक्ष में हुये नियमन का इन्द्राज करते हुये उन्हें जमावन्दी में खातेदार अंकित करते। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी दौरान श्रीमान् अति0 जिलाधीश धौलपुर के आदेश दिनांक 31.08.1968 से वादीगण के पूर्वजो के पक्ष में हुये नियमन को निरस्त कर दिया। परन्तु विवादित आराजी पर वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

का निरन्तर कब्जा काश्त रहा। अतः वाद प्रस्तुत कर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त अपने पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है एवं पुराने कब्जे के आधार पर विवादित आराजी का नियमन भी अपीलांट के पूर्वजो को हुआ था। परन्तु अपीलाण्ट के पूर्वज पढे लिखे नहीं होने के कारण नियमन एवं खातेदारी अधिकारो बावत् कार्यवाही करने से अनभिज्ञ थे। इस प्रकार विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होती रही। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर द्वारा अपीलाण्ट के पूर्वजो के पक्ष में हुये नियमन को निरस्त कर दिया एवं विवादित आराजी में से 2 बीघा भूमि विद्युत विभाग को आवंटित कर दी। अपीलाण्ट विद्युत विभाग के पक्ष में आवंटित हुयी भूमि को छोडने हेतु तैयार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.05.2018 को प्रकरण न्याय आपके द्वार ग्राम नगला दूल्हे खॉ में रखते हुये एवं यह अंकित करते हुये निर्णित कर दिया कि वादीगण/अपीलाण्ट उपस्थित आये उन्होंनें कहा कि वह दावे को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। सत्यता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलाण्ट से यह कहा कि तुम्हारे दावा का निर्णय न्याय आपके द्वार अभियान में नहीं हो सकता। परन्तु तुम अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका पर कर दो। जिस पर वादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से कहा कि आदेशिका लिख दो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलाण्ट को धमका कर बिना आदेशिका लिखे, हस्ताक्षर करा लिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की बैक पर आलोच्य आदेश लिख कर उनके भरोसे को तोडा है, जो न्यायालय की गरिमा के विपरीत है। यह है कि विवादित आराजी बावत् पूर्व में कई वाद चले हैं जिनमें विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त माना है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1991 पेज 1, 1993 पेज 178, आरएलआर 1991 पेज 601, एआईसी 2010 पेज 10, 2016 पेज 728 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। न्याय आपके द्वार अभियान में स्वयं अपीलाण्ट द्वारा उपस्थित होकर दावे को आगे नहीं चलाने बावत् कथन किया था एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण किया है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हें धमका कर, बिना आदेशिका लिखे, हस्ताक्षर कराये हैं। झूठा व मनगढन्त है। वैसे भी अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं उनके पूर्वजो के हक में हुये नियमन को स्वयं अपीलाण्ट निरस्त होना स्वीकारते हैं। अतः उन्हें विवादित आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट स्वयं ने राजस्व अभियान, न्याय आपके द्वार में उपस्थित होकर जाहिर किया है कि कि वह दावा को आगे चलाना नहीं चहाते हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा जरिये विदड्रा खारिज किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट की उपस्थिति के हस्ताक्षर भी अंकित है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें धोखे में रखकर एवं बिना आदेशिका लिखे हस्ताक्षर कराये गये हैं। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त आदेशिका के विरूद्ध एवं अपने उक्त कथन बाबत् कोई दस्तावेजी/प्रमाणिक साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्य को, जब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत सिद्ध नही कर देते। इसके अलावा अपीलाण्ट स्वयं अपने पूर्वजो के पक्ष में हुये नियमन को अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा निरस्त किया जाना बताते हैं। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त होना नहीं माना जा सकता एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही उपलब्ध है। जिससे उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाण्ट की अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.03.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर